

प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 18/2021)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

**भादूविप्रा द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन**

नई दिल्ली, 25 मार्च 2021: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के माध्यम से, मध्यप्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए 18 मार्च, 2021 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया।


2. भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भादूविप्रा देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित करता है। कोविड महामारी को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इसमें उपभोक्ता अपने घर, दुकान या कार्यालय से भाग ले सकते हैं।

3. इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य के टेलीकॉम उपभोक्ताओं के अलावा, राज्य के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) प्रभारियों (उपभोक्ताओं), उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न कॉलेजों के छात्रों एवं शिक्षकों, ग्रामीणों, किसानों, सरकार और जनता के अधिकारियों ने भाग लिया।

4. कार्यक्रम के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं यथा टैरिफ, मूल्य संवर्धित सेवाओं (वीएएस), डेटा सेवाओं, अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण प्रणाली, आदि के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया। उपभोक्ताओं को भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बनाए गए विभिन्न मोबाइल ऐप्स यथा ट्राई माय-स्पीड ऐप, ट्राई माई-कॉल ऐप और डीएनडी 2.0 ऐप के लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई एवं साथ में यह भी बताया गया कि कैसे उपभोक्ता इन ऐप और ट्राई एनालिटिक पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न कपटपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी बताया गया जैसे टॉवर धोखाधड़ी, आईएसडी नंबरों से मिस्ड कॉल, इत्यादि से कैसे बचे रह सकते हैं, के बारे में भी जरूरी जानकारी प्रदान की गई। उपभोक्ताओं को प्रसारण और केबल टीवी नियमों के वर्तमान संशोधन के बारे में भी बताया गया। नियमित सीओपी के अलावा, विषय विशेषज्ञ द्वारा "सी. एस. सी. ब्रिजिंग दी डिजिटल डिवाइड इन रूरल एरियाज" पर एक प्रस्तुति भी दी गई। जिसमें "सी. एस. सी. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं" के विस्तार के बारे में बताया गया।

5. इंटरैक्टिव सत्र के दौरान, श्री विनोद गुसा, सलाहकार, भादूविप्रा और उनकी टीम द्वारा प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

6. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री संजीव बांझल सलाहकार (सीए एंड आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोन: 011-23210990 या ईमेल आईडी: [advisorit@traai.gov.in](mailto:advisorit@traai.gov.in) द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

  
(एस. के. गुसा)  
सचिव, भादूविप्रा